भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **3940** जिसका उत्तर

शुक्रवार, **24 मार्च**, 2023/3 चैत्र, 1945 (शक) को दिया जाना है

पत्तनों का विस्तार

†3940. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे :

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट :

श्री राहुल रमेश शेवाले :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार प्रतिवर्ष 3300 मिलियन टन से अधिक की ढुलाई के लिए पत्तनों की क्षमता का विस्तार करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित देश में विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान घरेलू पोत परिवहन उद्योग द्वारा सूचित वृद्धि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में पोत निर्माण उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस उद्योग के विकास के लिए की गई पहलों/उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और ऐसी पहलों के लिए कितना बजटीय आवंटन स्वीकृत और जारी किया गया है;

(घ) देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र में उन पत्तनों का ब्यौरा क्या है जिनका प्रचालन और अनुरक्षण निजी-सार्वजनिक भागीदारी मॉडल के माध्यम से किया जाता है;

(ङ) निजी क्षेत्र और केन्द्र सरकार द्वारा विशेषकर महाराष्ट्र में चलाए जा रहे बंदरगाहों का बंदरगाह-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में निजीकरण किए गए पत्तनों का ब्यौरा क्या है और ऐसे विभिन्न पत्तनों के प्रचालकों के नाम क्या-क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): जी, हां। पिछले 5 वर्षों के दौरान महापत्तनों और गैर-महापत्तनों की कार्गो हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ख): इस समय, देश में 43 शिपयार्ड हैं, जिनमें से 8 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत, 2 राज्य सरकारों के अंतर्गत तथा 33 निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।

(ग): भारत में पोत निर्माण और पोत मरम्मत को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय/पहलें की गई हैं। सरकार द्वारा भारत में निर्मित और भारतीय ध्वजांकित जलयानों को प्राथमिकता देकर निविदा प्रक्रिया के माध्यम से जलयानों की चार्टरिंग/अधिग्रहण/मरम्मत में पहले अस्वीकार करने का अधिकार (आरओएफआर) प्रदान करने संबंधी मानदंड को संशोधित किया गया है। इसके साथ ही, दिनांक 01.4.2016 और 31.3.2026 के बीच 10 वर्षों के लिए किए गए पोत निर्माण करारों हेतु 4,000 करोड़ रु. के कुल बजट के साथ भारतीय शिपयार्डों को पोत निर्माण वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। मंत्रालय ने भारत में महापत्तनों द्वारा टगों की खरीद/चार्टरिंग के लिए एक एसओपी लागू की है, जिसके अनुसार सभी महापत्तनों की सेवाओं के लिए आवश्यक टगों को भारतीय शिपयार्डों में मानकीकृत डिजाइनों के अनुरूप निर्मित किया जाएगा।

पिछले 5 वर्षों के दौरान पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति के अंतर्गत जारी निधियां नीचे दी गई हैं:

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
आवंटित बजट	30 करोड़	27 करोड़	58 करोड़	64.7 करोड़	104 करोड़
वास्तविक व्यय	29.02 करोड़	26.97 करोड़	58 करोड़	64.7 करोड़	58 करोड़ *(दिनांक20.3.2023 के अनुसार)*

(घ) और (ङ): केन्द्र सरकार के प्रशासन के अधीन 12 महापत्तन हैं। रियायतप्राप्तकर्ता द्वारा राजस्व हिस्सेदारी/रॉयल्टी भुगतान पर निविदा प्रक्रिया के द्वारा एक नियत अवधि के लिए रियायत करार के माध्यम से परियोजनाओं/बर्थों/टर्मिनलों हेतु सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) पर इन महापत्तनों में निजी क्षेत्र की सहभागिता की अनुमति दी गई है।

संबंधित राज्य समुद्री बोर्डों/राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन 213 गैर-महापत्तन हैं। महापत्तनों के मामले में, 272 बर्थों में से 79 बर्थें पीपीपी मोड के आधार पर दी गई हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रबंधित 12 महापत्तनों और समुद्री बोर्डों सहित राज्य प्राधिकरणों द्वारा प्रबंधित गैर-महापत्तनों से संबंधित सूचना **अनुबंध-III** में दी गई है।

(च): पिछले 5 वर्षों के दौरान देश में किसी भी महापत्तन का निजीकरण नहीं किया गया है।

अनुबंध – I

महापत्तनों की क्षमता

(एमटीपीए में)

क्र.सं.	राज्य	पत्तन का नाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1.	पश्चिम बंगाल	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन (केडीएस एवं एचडीसी)	82.57	82.57	82.57	90.77	92.77
2.	ओडिशा	पारादीप पत्तन	239.00	239.00	249.00	259.00	289.75
3.	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम पत्तन	131.09	131.09	134.18	134.18	134.18
4.	तमिलनाडु	कामराजार पत्तन	84.00	91.00	91.00	91.00	91.00
5.		चेन्नै पत्तन	134.00	134.00	135.00	135.00	135.00
6.		वी. ओ. चिदंबरनार पत्तन	94.83	111.46	111.46	111.46	111.46
7.	केरल	कोचिन पत्तन	74.50	78.60	78.60	78.60	78.60
8.	कर्नाटक	नव मंगलूर पत्तन	98.00	98.00	104.73	104.73	108.96
9.	गोवा	मुरगांव पत्तन	63.00	63.40	63.40	63.40	63.40
10.	महाराष्ट्र	मुंबई पत्तन	79.00	79.00	79.00	84.00	84.00
11.		जवाहरलाल नेहरू पत्तन	118.00	138.87	138.87	141.37	141.37
12.	गुजरात	दीनदयाल पत्तन	253.20	267.10	267.10	267.10	267.10
कुल			1451.19	1514.09	1534.91	1560.61	1597.59

अनुबंध - II

समुद्री राज्यों में गैर-महापत्तनों की क्षमता

(एमटीपीए में)

राज्य समुद्री बोर्ड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
गुजरात	523.00	542.00	544.50	545.00	552.00
महाराष्ट्र	37.37	45.79	125.20	125.20	129.70
गोवा	0.07	0.15	0.09	9.00	9.00
तमिलनाडु	9.83	9.83	25.05	25.05	25.05
कर्नाटक	17.80	17.80	17.80	17.80	15.80
केरल	0.14	0.95	0.95	1.07	1.78
पुदुच्चेरी	14.86	14.86	16.96	16.96	16.96
आंध्र प्रदेश	177.00	178.00	187.00	188.00	188.00
ओडिशा	48.00	50.00	70.00	70.00	65.00
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.12	4.12	4.12	4.16	4.11
कुल	**832.19**	**863.50**	**991.67**	**1002.24**	**1007.40**

अनुबंध - III

पीपीपी पर महापत्तनों और गैर-महापत्तनों की बर्थों का विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	महापत्तन			गैर-महापत्तन*		
		महापत्तनों की संख्या	पीपीपी पर बर्थों की संख्या	पत्तन के स्वामित्व वाली बर्थें	कार्गो की हैंडलिंग करने वाले गैर-महापत्तनों की संख्या	राज्य सरकार द्वारा प्रचालित पत्तन	पीपीपी मोड पर प्रचालित पत्तन
1	गुजरात	1	10	24	17	13	4
2	महाराष्ट्र	2	14	35	16	5	11
3	गोवा	1	3	3	1	1	0
4	कर्नाटक	1	3	14	2	2	0
5	केरल	1	5	14	4	4	0
6	तमिलनाडु	3	20	29	6	2	4
7	आंध्र प्रदेश	1	8	18	4	0	4
8	ओडिशा	1	12	8	2	0	2
9	पश्चिम बंगाल	1(एचडीसी+ केडीएस)	4	48	1	1	0
10	अन्य*	0	0	0	14	14	0
	कुल	**12**	**79**	**193**	**67**	**42**	**25**

* समुद्री बोर्डों सहित राज्य प्राधिकरणों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर

*****